विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-04/2020

श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल – **आवेदक**
पिता बद्रीप्रसाद अग्रवाल,
प्रो0 श्री देवी होटल मेन रोड़,
इटारसी (म.प्र.)

विरूद्ध

उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग – **अनावेदक**
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
इटारसी (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 31.12.2020 को पारित)

01. आवेदक श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल, प्रो0 श्री देवी होटल मेन रोड़, इटारसी (म.प्र.) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 31.01.2020 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक बी.टी./12/2019 दिनांक 09.12.2019 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। यह अपील दिनांक 04.02.2020 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–04/2020 पर दर्ज की गई है।

02. आवेदक ने अपनी लिखित अपील में प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार प्रस्तुत किएः–
आवेदक ने एक गैर घरेलु विद्युत कनेक्शन क्र. 6354350000 स्वीकृत भार 35 किलोवॉट लॉज हेतु प्रदान किया गया है जिससे आवश्यकतानुसार लाईट, पंखा एवं ए.सी. का उपयोग किया जाता है। विजिटर्स के आने पर खपत की रीडिंग मीटर पर दर्ज की जाती है वह एक समान नहीं होती है।

अनावेदक द्वारा आवेदक की ओर उक्त कनेक्शन स्थापित दिनांक से आज दिनांक तक जारी किए गए समस्त मासिक बिल विद्युत खपत अनुसार जारी किए गए हैं जिसमें विद्युत खपत के साथ मीटर किराया राशि भी बिलों में जोड़कर आवेदक से वसूल की गई है।

अनावेदक द्वारा आवेदक के कनेक्शन के मीटर (जिसे आगे विवादित मीटर से संबोधित किया जावेगा) की सील तोड़ कर दिनांक 26.07.2019 को निरीक्षण किया जाना दर्शाते हुए निरीक्षण की एक प्रति आवेदक को प्रदान की गई थी।

आवेदक के विद्युत कनेक्शन की पिछले 10 माहों की विद्युत खपत एवं एम डी की विवरणी निम्नानुसार है –

माह	खपत युनिट	राशि	एम. डी.
नम्बवर 2018	1373	14483	7.04
दिसम्बर 2018	1119	14452	5.64
जनवरी 2019	849	11051	6.34
फरवरी 2019	990	10567	4.64
मार्च 2019	1146	13291	4.50
अप्रैल 2019	2633	23450	7.50
मई 2019	3185	28091	9.00
जून 2019	2734	24005	17.04
जुलाई 2019	1141	11159	14.96

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 एवं विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्रमांक 8.6 की मंशा के मुताबिक संबंधित उपभोक्ता विद्युत कनेक्शन पर स्थापित मीटर को सही रखने की कानूनी जबाबदारी जिम्मेदारी अनावेदक विद्युत कंपनी लायसेंसी की बताई गयी है और उसी स्थिति मे मासिक विद्युत बिल में मीटर किराया राशि जोड़कर संबधित उपभोक्ता से मीटर किराया राशि प्राप्त करने का अधिकारी अनावेदक को बताया गया है।

आवेदक की ओर अनावेदक के द्वारा पत्र क्रमांक 394 दिनांक 17.8.2019 का जारी कर 67900. 49 रूपये (जिसे आगे विवादित राशि से संबधित किया जावेगा) की मांग की गयी है । उक्त पत्र के साथ दो दस्तावेज अर्थात् 8884 यूनिट का अतिरिक्त बिल एवं एम.आर.आई. डाटा संलग्न कर भेजा गया है।

अनावेदक ने इस संबंध में अनावेदक के कार्यालय में दो पत्र प्रस्तुत कर विवादित राशि की जानकारी एवं स्पष्टीकरण चाहा गया था।

अनावेदक ने आवेदक की ओर पत्र क्र. 410 दिनांक 22.8.2019 को प्रेषित कर उपरोक्त पत्र में उल्लेखित बातों को दोहराते हुये विवादित राशि 67900.48 रूपये की मांग की गई थी।

अनावेदक द्वारा आवेदक से मांग की जा रही विवादित राशि रू. 67900.49 निम्नलिखित आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य हैं :–

ए. दिनांक 26.7.2019 की कथित निरक्षण रिपोर्ट में आवेदक के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई अनियमितता पाये जाने का उल्लेख नहीं है।

बी. म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्र. 8.16 के मुताबित विवादित मीटर को किस संक्षम प्रयोगशाला में जांच नहीं कराया गया है।

सी. विवादित मीटर की जांच म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका क्र. 8.16 के तहत कोई सूचना भी आवेदक को नहीं दी गयी है।

डी. विवादित राशि म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका क्र. 8.35 की मंशा के विपरित है।

ई. अनावेदक ने माह जून एवं जुलाई 2019 आवेदक की ओर विद्युत खपत अनुसार मासिक बील जारी कर राशि प्राप्त कर ली है और उक्त अवधि में मीटर किराया भी वसूल कर लिया है तब पुनः कथित कारण दर्शाकर विवादित राशि की मांग आनेदक से विधी अनुसार दोबारा नहीं की जा सकती है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त समस्त आधारों पर अनावेदक द्वारा आवेदक से मांग की जा रही विवादित राशि 67900.49 रूपये विधी और नियम के विपरित होने से निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा की जावे।

<u>अनावेदक का कथन</u>

आवेदक का गैर घरेलु विद्युत कनेक्शन क्र. 6354350000 स्वीकृत भार 35 किलोवॉट लॉज हेतु स्वीकृत है। आवेदक के यहॉ मीटर क्र.उ एमपीएम 11476 दिनांक 2.11.2018 को स्थापित किया गया था।

आवेदक द्वारा प्रतिमाह उनको दिये जा रहे विद्युत बिल का भुगतान किया जा रहा है जिसमें उनके द्वारा मीटर किराये की राशि भी जमा की जा रही है।

बी.आई. सेल होशंगाबाद द्वारा दिनांक 27.7.2019 को आवेदक के यहॉ निरीक्षण किया गया जिसमें उनके मीटर पर वर्तमान की स्थिति में आर एवं वॉय फेस पर वोल्टेज न मिलने के कारण आर. वॉय फेस के पोटेन्शियल टर्मिनल को ठीक किया गया।

बी.आई. सेल होशंगाबाद द्वारा पत्र क्र. 356 दिनांक 31.7.2019 के माध्यम से सूचित किया गया कि आवेदक के यहॉ दिनांक 26.5.2019 मीटर रिडिंग 26407 के दिनांक 6.7.2019 मीटर रिडिंग 30849 तक उपभोक्ता के मीटर में आर. एवं वॉय फेस पर पोटेन्शियल मिसिंग पाया गया है। जिस कारण उनके द्वारा 8884 यूनिट की अतिरिक्त बिलिंग करने के निर्देश दिये।

आवेदक को पत्र क्र. प्रंबधक/शहर/2019/394 दिनांक 17.8.2019 के माध्यम से 8884 यूनिट का अतिरिक्त बिल रू. 67900/– का भुगतान करने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात् आवेदक द्वारा 20.8.2019 को पत्र के माध्यम से आपत्ति ली गयी । इस संदर्भ में आवेदक को पत्र क्र. प्रबंधक/शहर/2019/410 दिनांक 22.8.2019 के माध्यम से जबाब दिया गया।

अनावेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 का पालन किया गया है । आवेदक के यहॉ सही मीटर की स्थापना की गयी एवं आवेदक के मीटर क्र. एमपीएम 11476 में दिनांक 26.5.2019 को आए टेंपर को 26.07.2019 को ठीक कर दिया गया है।

आवेदक को पत्र क्र. प्रबंधक/शहर/2019/410 दिनांक 22.8.2019 के माध्यम से मीटर टेस्ट कराने हेतु 2200 रू. जमा कराने हेतु कहा गया था परन्तु आज दिनांक तक आवेदक द्वारा मीटर टेस्टिंग शुल्क संबधित कार्यालय में जमा नहीं की गयी है। जिस कारण उनका मीटर टेस्ट नहीं किया गया है।

आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर एमपीएम 11476 की नोड सर्वे रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि आवेदक के यहॉ स्थापित मीटर में दिनांक 26.5.2019 से केवल वाय फेस पर पोटेन्शियल मिसिंग है। जिसको 26.07.2019 को बी.आई.सेल द्वारा ठीक किया गया । लोड सर्वे रिपोर्ट में 26.05.2019 से 26.07.2019 की अवधि में मीटर में केवल वाय फेस का पोटेन्शियल पाया गया है। त्रुटिवश बी.आई.सेल द्वारा उक्त अवधि में आवेदक को 2 फेस मिसिंग की कर दी गई थी। अतः आवेदक को पत्र क्र. प्रबंधक/शहर/2019/538 दिनांक 04.10.2019 के माध्यम से वाय फेस मिसिंग की बिलिंग यूनिट 2221 की राशि रू. 16945 जमा करने हेतु कहा गया है।

अतः आवेदक को पत्र क्र. प्रबंधक/शहर/2019/394 दिनांक 17.08.2019 के माध्यम से अतिरिक्त यूनिट 8884 की बिलिंग राशि 67000/– को संशोधित कर राशि रूपये 16945/– कर दी गयी है।

<u>फोरम द्वारा की गयी समीक्षा</u> :–

आवेदक इटारसी में एक लॉज का संचालन करते हैं जिसके लिये एक घरेलु विद्युत संयोजन क्र. 6354350000 स्वीकृत भार 35 कि. वॉट लिया गया है जिसमें विद्युत का उपयोग लाईट, पंखा एवं ए.सी. आदि में किया जाता है। अनावेदक द्वारा उक्त संयोजन के तारतम्य में पत्र क्र. प्रबंधक/शहर/2019/394 दिनांक 17.08.2019 के माध्यम से एम.आर.आई.डाटा संलग्न करते हुये 8884 यूनिट का अतिरिक्त बिल राशि रू. 67900.49 का भुगतान करने हेतु आवेदक को नोटिस दिया था। उक्त राशि को आवेदक ने निरस्त करने की मांग की है। अतः यह मुख्य रूप से 2 प्रश्न विचारणीय है :–

01. क्या अनावेदक द्वारा इस प्रकरण में अतिरिक्त देयक आवेदक को दिया जाना चाहिये।

02. यदि आवेदक को अतिरिक्त देयक दिया जाना चाहिये तो क्या दिया गया देयक नियम के अनूकुल है।

फोरम का निर्णय–

प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों फोरम में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत जानकारी तथा विधी द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन पश्चात् फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अनावेदक द्वारा राशि 67900 के अतिरिक्त देयक के स्थान पर संशोधित अतिरिक्त देयक की राशि 16945/– रू. कर दी गयी है जो कि युक्तियुक्त है एवं भुगतान योग्य है। अतः आवेदक द्वारा उसका भुगतान किया जावे।

उपरोक्त आदेश से पीड़ित होकर अपील समय अवधि में पेश की जा रही है अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.12.2019 की प्रति पत्र दिनांक 30.12.2019 को रजिस्ट्री से भेजी गयी थी जो अपीलार्थी को दिनांक 04.01.2020 को प्राप्त हुई है –

अपील के आधार –

01. प्रतिअपीलार्थी ने आवेदक के विवादित मीटर को म.प्र. विद्युत सप्लाय कोड 2013 के नियम 8.18 के मुताबिक टेस्टींग नहीं करायी है इसलिए अपीलार्थी के विरूद्ध मांग की जा रही विवादित राशि निरस्त की जावे।

02. प्रतिअपीलार्थी ने सक्ष लेबोट्ररी के टेस्टींग के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक इन्स्टूमेंट के टेस्टिंग को सत्य मानकर अधीनस्थ फोरम ने गलती की है अर्थात माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों को न मानकर निर्दोषों की अनदेखी की है। इसलिए आलोच्य आदेश को निरस्त किया जावे।

03. प्रतिअपीलार्थी की कथित टेस्टिंग की सूचना उनके द्वारा अपीलार्थी को न दी जाकर नेचरल जस्टीस की अवहेलना प्रतिअपीलार्थी ने की है।

04. प्रतिअपीलार्थी ने विवादित राशि का आधार जवाबदावा दिनांक 04.11.2019 में बी फेस मिसिंग बताया है, जबकि आलोच्य आदेश में विवादित राशि का आधार वाय फेस मिसिंग का उल्लेख है। इस आधार पर आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

05. प्रतिअपीलार्थी अपीलार्थी के कनेक्शन की मासिक एम आर आई रिडिंग आकता है जिसके आधार पर कथित खपत आने पर प्रतिअपीलार्थी को उसी माह उक्त मीटर की टेस्टिंग सक्षम लेबोट्ररी से कराना थी ऐसा न करके प्रतिअपीलार्थी एक लंबे समय के बाद इलेक्ट्रानिक उपकरण से कथित जांच कर विवादित राशि की मांग आनेस्ट कंजूमर से विधिवत न होने से विवादित राशि निरस्त किए जाने योग्य है।

06. लाखों रूपए मासिक सेलेरी लेने वाले अधिकारी ऑनेस्ट कंजूमर को तंग व परेशान करने की नियत से अपीलार्थी की ओर पत्र क्रमांक 17/08/2019 और 22.08.2019 के माध्यम से आर फेस और वॉय फेस पर पोटेन्शियल मिसिंग बताकर 8884 यूनिट की राशि 67900/– रू. मांग करते हैं। जिसे विवादित राशि से संबोधित किया गया है। उक्त राशि की विस्तृत जानकारी अपीलार्थी द्वारा मांग करने पर एवं फोरम में शिकायत प्रस्तुत करने के पश्चात प्रतिअपीलार्थी उक्त राशि संशोधित कर 2221 यूनिट की राशि 16945/– रू. की मांग की जा रही है जो विधिवत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं क्योंकि उक्त दोनों अवधि में किसी भी प्रकार की टेस्टिंग के संबंध में अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई थी। अर्थात अपीलार्थी के पीठ के पीछे उक्त टेस्टिंग की गई है।

07. विद्युत अधिनियम की धारा 55 में मीटर को सही रखने की जिम्मेंदारी जवाबदारी प्रतिअपीलार्थी की बतायी गई है और कथित फेस मिसिंग की अवधि में प्रतिअपीलार्थी की यह कानूनी जिम्मेंदारी बनती है कि वह कथित अवधि में ही कथित मिसिंग को उसी माह दुरूस्त करें। परन्तु वर्तमान प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी ने इसकी अनदेखी की है।

08. एक ओर मीटर का किराया अपीलार्थी से वसूल किया जाकर खपत अनुसार मासिक बिल भेजा गया है और दूसरी ओर उसी मीटर को खराब बताकर (अर्थात् फेस मिसिंग के नाम से) विवादित राशि की मांग की जा रही है। इस आधार पर विवादित राशि निरस्त की जावे।

09. वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी की कोई त्रुटि नहीं है। एम.आर.आई. रिपोर्ट आने के बाद भी उसी महिने कथित फेस मिसिंग को उसी महिने में दुरूस्त न करना स्पष्ट रूप से सेवाओं में कमी का द्योतक प्रतिअपीलार्थी है। इसलिये प्रतिअपीलार्थी के लापरवाही का भार एवं नुकसानी के लिये उसका भार अपीलार्थी पर लादा नहीं जा सकता इसलिये विवादित राशि निरस्त की जावे।

10. अपीलार्थी कानूनी मुद्दे और न्याय दृष्टांत अंतिम बहस के समय प्रस्तुत करने के अपने अधिकारी को सुरक्षित रखता है।

11. अपीलार्थी ने विवादित राशि 16945/– की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रतिअपीलार्थी को दिनांक 12.01.2020 को 8500/– का भुगतान कर दिया है एवं चेक की फोटो कॉपी इस अपील के साथ संलग्न है।

12. माननीय अधिनस्थ फोरम का आलोच्य आदेश दिनांक 09.12.2019 की प्रमाणित प्रति भी इस अपील के साथ सलंग्न है।

प्रार्थना : –

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अधिनस्थ फोरम का प्रकरण क्र. 12/19 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को दोनो फोरम का खर्चे के रूप में 5,000 रू. प्रतिअपीलार्थी से अपीलार्थी को दिलाया जावे।

03. प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 12.02.2020 को नियत की गई किन्तु नियत दिनांक को उभयपक्षों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 20.02.2020 को आयोजि की गई । इसमें आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री डेलन पटेल, प्रबंधक (शहर) मप्रमक्षेविविकंलि0 इटारसी बतौर अनावेदक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। चूंकि श्री पटेल स्वयं अनावेदक नहीं है न ही वे प्रकरण के विधि सम्मत नियत प्रभारी अधिकारी है न ही अनावेदक के अधिकृत अधिवक्ता है, अतः उन्हें सुनवाई में अनावेदक प्रतिनिधि के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता। निर्देशित है कि अगली सुनवाई में अनावेदक स्वयं और/या प्रकरण के विधिसम्मत नियुक्त प्रभारी अधिकारी और/या अनावेदक के अधिकृत अधिवक्ता उपस्थित हो। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 05.03.2020 को नियत की गई।

04. सुनवाई दिनांक 05.03.2020 को आयोजित सुनवाई में आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री डेलन पटेल, प्रबंधक(शहर) मप्रमक्षेविविकंलि0 इटारसी उपस्थित।

अनावेदक प्रतिनिधि ने अनावेदक का लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 20.02.2020 प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को दी गई ।

आवेदक अधिवक्ता ने कथन कर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की जिसको स्वीकार कर प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 18.03.2020 नियत की गई ।

अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत अनावेदक के लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 20.02.2020 में निम्नानुसार प्रस्तुतीकरण किया गया है :–

1. आवेदक का गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 6354350000, स्वीकृत भार 35 किलो वॉट लॉज उपयोग हेतु स्वीकृत है। आवेदक के यहां मीटर क्र. MPM11476 दिनांक 02.01.2018 को स्थापित किया गया था।
2. आवेदक द्वारा प्रतिमाह उनको दिए जा रहे विद्युत बिल का भुगतान किया जा रहा है जिसमें उनके द्वारा मीटर किराए की राशि भी जमा की जा रही है।
3. बी.आई. सेल होशंगाबाद द्वारा दिनांक 27.07.2019 को आवेदक के यहां निरीक्षण किया गया जिसमें उनके मीटर पर वर्तमान की स्थिति में आर एवं वॉय फेस पर वोल्टेज न मिलने के कारण आर एवं वाय फेस के पोटेन्शियल टर्मिनल को ठीक किया गया ।

4. बी.आई. सेल होशंगाबाद द्वारा पत्र क्र. 356 दिनांक 31.07.2019 के माध्यम से सूचित किया गया कि आवेदक के यहां दिनांक 26.05.2019 मीटर रीडिंग 26407 से दिनांक 26.07.2019 मीटर रीडिंग 30849 तक उपभोक्ता के मीटर में आर एवं वाय फेस पर पोटेन्शियल मिसिंग पाया गया है जिस कारण उनके द्वारा 8884 युनिट की अतिरिक्त बिलिंग करने के निर्देश दिए।

5. आवेदक को पत्र क्र. प्रबंधक/शहर/2019/394, दिनांक 17.08.2019 के माध्यम से 8884 युनिट का अतिरिक्त बिल राशि रू. 67900/– का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात आवेदक द्वारा 20.08.2019 को पत्र के माध्यम से आपत्ति ली गई। इस संदर्भ में आवेदक को पत्र क्र. प्रबंधक/शहर/2019/410, दिनांक 22.08.2019 के माध्यम से जवाब दिया गया।

6. अनावेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 55 का पालन किया गया है । आवेदक के यहां सही मीटर की स्थापना की गई है एवं आवेदक के मीटर क्र. MPM11476 में दिनांक 26.05.2019 को आए टेंपर को 26.07.2019 को ठीक कर दिया गया है ।

7. आवेदक को पत्र क्र. प्रबंधक/शहर/2019/410 दिनांक 22.08.2019 के माध्यम से मीटर टेस्ट कराने हेतु 2200 रू. जमा कराने हेतु कहा गया था परन्तु आज दिनांक तक आवेदक द्वारा मीटर टेस्टिंग शुल्क संबंधित कार्यालय में जमा नहीं की गई है जिस कारण उनका मीटर टेस्ट नहीं किया गया है।

8. आवेदक के यहां स्थापित मीटर क्र. MPM11476 की लोड सर्वे रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि आवेदक के यहां स्थापित मीटर में दिनांक 26.05.2019 से केवल वाय फेस पर पोटेन्शियल मिसिंग है जिसको 26.07.2019 को बी.आई. सेल द्वारा ठीक किया गया । लोड सर्वे रिपोर्ट में 26.05.2019 से 26.07.2019 की अवधि में मीटर में केवल वाय फेस का पोटेन्शियल मिसिंग पाया गया है। त्रुटिवश बी.आई. सेल द्वारा उक्त अवधि में आवेदक को दो फेस मिसिंग की बिलिंग कर दी गई थी। अतः आवेदक को पत्र क्र. प्रबंधक/शहर/2019/538 दिनांक 04.10.2019 के माध्यम से वाय. फेस मिसिंग की बिलिंग युनिट 2221 की राशि रू. 16945 जमा करने हेतु कहा गया है।

9. अतः आवेदक को पत्र क्र. प्रबंधक/शहर/2019/394 दिनांक 17.08.2019 के माध्यम से अतिरिक्त युनिट 8884 की बिलिंग राशि 67900/– को संशोधित कर राशि रू. 16945 कर दी गई है।

10. आवेदक द्वारा दिनांक 14.01.2020 को राशि रू. 8500/– अंडर प्रोटेस्ट (50 प्रतिशत) कार्यालय में जमा कर दिए गए।

अतिरिक्त कथन

आवेदक के यहां स्थापित मीटर क्र. MPM11476 दिनांक 26.05.2019 से दिनांक 26.07.2019 तक में वाय फेस पर पोटेन्शियल मिसिंग था लेकिन लोड सर्वे के अनुसार उक्त फेस पर करंट बता रहा था लेकिन वाय फेस पर वोल्टेज मिसिंग होने के कारण उसकी खपत मीटर में दर्ज नहीं हो रही थी। आवेदक द्वारा मई 2019 माह में 3154 युनिट विद्युत खपत और जून 2019 माह में 2731 युनिट विद्युत खपत की थी लेकिन जुलाई 2019 माह में 1172 युनिट एवं अगस्त 2019 माह में 1212 युनिट विद्युत खपत दर्ज हुई (एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर) । इससे यह स्पष्ट होता है कि वाय फेस पर पोटेन्शियल मिसिंग होने के कारण आवेदक के मीटर में एक फेस पर विद्युत खपत दर्ज नहीं हो सकी । परन्तु आवेदक द्वारा तीनों फेस का उपयोग किया गया है। अतः आवेदक को पत्र क्र. प्रबंधक/शहर/2019/538 दिनांक 04.10.2019 के माध्यम से दिया गया 2221 युनिट खपत का बिल रू. 16945/– जमा करने हेतु जारी करना न्यायोचित है।

05. सुनवाई दिनांक 18.03.2020 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं तथा अनावेदक की ओर से श्री विवेक चांवरे, डी0जी0एम0 (संचा0/संधा0) तथा श्री राजेन्द्र दीवान, विधि सहायक इटारसी उपस्थित।

अनावेदक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि श्री विवेक चांवरे, डी0जी0एम0 (संचा0/संधा0) द्वारा सुनवाई में निम्न कथन किए गए :–

1. दिनांक 26 जुलाई, 2019 को आवेदक के परिसर में निरीक्षण के दौरान मीटर में आर एवं वाय फेज पर वोल्टेज मिसिंग पाया जाने के आधार पर आवेदक को मई 2019 से जुलाई 2019 के 2 महीनें की अवधि के लिए मीटर द्वारा दर्ज खपत की दुगुनी खपत की अतिरिक्त बिलिंग कर आवेदक को 67,900/– रू0 का बिल भुगतान हेतु दिया गया।
2. बाद में मीटर के लोड सर्वे रिपोर्ट की सुक्ष्मता से जांच करने पर उक्त 2 माहों की अवधि में केवल वाय फेज पर ही वोल्टेज मिसिंग पाया गया इसलिए पूर्व में 67,900/– रू0 के दिए गए अतिरिक्त बिल को पुनरीक्षित कर 16,945/– रू0 का बिल आवेदक को भुगतान हेतु दिया गया।
3. मीटर द्वारा केवल 2 फेज पर ही खपत दर्ज किए जाने का भी केवल ओर केवल यही कारण था कि मीटर के वाय फेज का कनेक्शन त्रुटिपूर्ण था, जबकि मीटर की कार्य–प्रणाली में कोई समस्या नहीं थी, मीटर सही कार्य कर रहा था। मीटर की कार्य–प्रणाली सही होने से इसके प्रयोगशाला में परीक्षण किए जाने की आवश्यकता नहीं पाई गई, तथापि आवेदक की मांग को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को पत्र क्रमांक 410 दिनांक 22.08.2019 से मीटर परीक्षण शुल्क के रू0 2200/– का मांग पत्र प्रेषित करते

हुए सलाह दी गई थी कि यदि वे चाहे तो इस मांग पत्र का भुगतान कर अपनी उपस्थिति में अनावेदक की प्रयोगशाला में मीटर का परीक्षण करवा सकते हैं। किन्तु आवेदक उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

4. मीटर द्वारा एक फेज पर विद्युत खपत दर्ज नहीं किए जाने का कारण केवल उस फेज विशेष का मीटर से त्रुटिपूर्ण कनेक्शन था, जिसे दुरस्त भी कर दिया गया है । वर्तमान में तीनों फेज पर मीटर खपत दर्ज कर रहे हैं, इस आधार पर आवेदक को दिया गया अतिरिक्त देयक रू0 16,945/– विधि अनुसार उचित है एवं इसमें किसी संशोधन की कोई गुंजाईश नहीं है, अतः निवेदन है कि आवेदक की अपील सव्यय निरस्त की जाए।

5. अनावेदक की ओर से प्रकरण में आवश्यक कथन किए जा चुके हैं तथा सभी आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अनावेदक को प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं करना है, ना ही कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना है।

आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में आगे सुनवाई नहीं की जा सकी और कोरोना वाईरस के संक्रमण के बारे में जारी Govt. Advisory को दृष्टिगत रखते हुए तथा सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई दिनांक 21.04.2020 को नियत की गई।

06. दिनांक 21.04.2020 को नियत की गई सुनवाई लॉक डाउन की वजह से आयोजित नहीं की जा सकी। इसके बाद कोविड–19 तथा लॉक डाउन के कारण संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अगस्त 2020 तक कोई सुनवाई आयोजित नहीं की गई। प्रकरण में अगली सुनवाई 15.09.2020 को आयोजित की गई किन्तु आयोग कार्यालय का एक स्टॉफ कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कार्यालय बंद रहा और सुनवाई नहीं हो सकी। आवेदक अधिवक्ता की ओर से डाक द्वारा लिखित बहस भेजी गई, जिसमें निम्न प्रस्तुतीकरण किया गया :–

1. सर्वप्रथम अपीलार्थी यह बताना चाहता है कि प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार का कंडिकावार जवाब प्रस्तुत न करके जानकारी न्यायालय के समक्ष अपना खण्डन पेश नहीं करने से अपील स्वीकार की जावे।
2. अपीलार्थी ने अपने अपील के आधार के पेरा नंबर 4 में जवाब दावा दिनांक 04.11.2019 में ''बी'' फेस मिसिंग का उल्लेख किया है जबकि अपीलीय फोरम में प्रस्तुत जवाब दिनांक 05.03.2020 में ''वाय'' फेस मिसिंग का उल्लेख है। उपरोक्त दोनों कथन विरोधाभासी होने से अपील स्वीकार की जावे।
3. प्रतिअपीलार्थी को मासिक एम.आई.आर. रिपोर्ट प्राप्त होने और अवलोकन के बाद भी मीटर की खराबी की जानकारी प्राप्त होने के बाद उसी समय मीटर को दुरूस्त न करना सेवाओं में कमी और लापरवाही का द्योतक है, इस आधार पर एक बार बिल जारी करना, दोबारा

उसी माह का सप्लीमेन्ट्री बिल जारी कर विद्युत सप्लाय कोई 2013 के नियमों के विपरीत होने से विवादित राशि निरस्त किए जाने योग्य है।

4. वर्तमान प्रकरण में जानकारी प्राप्त होने के बाद मीटर की दुरूस्ती प्रतिअपीलार्थी ने दो माह के बाद करके अपीलार्थी को दो माह का कर्जदार बनाया है जबकि उक्त अवधि में अपीलार्थी से विवादित माहों में मीटर का किराया वसूल किया गया है, जो संशोधित किए जाने योग्य है।

5. प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब दावा दिनांक 05.03.2020 की कंडिका क्रमांक 16 में मीटर को दुरूस्त किए जाने का उल्लेख 26.07.2019 को किया है । अर्थात् पूर्व में मीटर सही रीडिंग नहीं दर्शा रहा था तब प्रतिअपीलार्थी का लापरवाही से मीटर बराबर रीडिंग न दर्शानें पर मीटर को तुरन्त दुरूस्त न करना सेवा में कमी का द्योतक है।

6. प्रतिअपीलार्थी, अपीलार्थी की ओर पूर्व में 67,900/– रूपए का बिल भेजकर 8884 युनिट की राशि की मांग करता है। अपीलार्थी द्वारा आपत्ति एवं जानकारी मांगने एवं फोरम में शरण का उल्लेख करता है तब विवादित राशि संशोधित कर 2221 युनिट की राशि 16,945/– रूपए की मांग की जाती है, इस प्रकार उपभोक्ता से खिलवाड़ किया जाता है मौजूदा प्रकरण उसकी एक मिसाल है, इस संबंध में प्रतिअपीलार्थी को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।

उपरोक्त आधार पर मांग की जारी संशोधित राशि को निरस्त करने की कृपा करें। आवेदक संततः न्याय दृष्टांत पर भरोसा करता है।

07. अक्टोबर 2020 में अंतिम सुनवाई वीडीयों कान्फ्रेंसिंग के लिए उभयपक्षों को इस बाबत् सूचित करते हुए इस संबंध में आवश्यक जानकारी यथा ई–मेल आई डी इत्यादि के लिए दूरभाष पर संपर्क करने पर अनावेदक ने प्रकरण में कोई और कथन नहीं किया जाना सूचित करते हुए सुनवाई से इन्कार किया। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 26.10.2020 जो डाक से प्राप्त में यह सूचित करते हुए कि प्रकरण में उनकी ओर से अंतिम जवाबदावा पूर्व को नियत दिनांक को प्रस्तुत कर दिया गया है और प्रकरण में अब कोई कथन शेष नहीं है। प्रकरण में निर्णय/आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया। इसी प्रकार आवेदक अधिवक्ता ने भी सुनवाई से इंकार किया तथा अपने पत्र दिनांक 23.10.2020 से सूचित किया कि –

> ''उपरोक्त कथनों के अतिरिक्त अपीलार्थी/आवेदक का यह भी निवेदन है कि पूर्व में दिनांक 18.03.2020 और दिनांक 15.09.2020 को लिखित बहस प्रस्तुत की जा चुकी है, अपीलार्थी/आवेदक को वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग के बारे में कोई जानकारी एवं मालूमात नहीं है तथा इस संबंध में अपीलार्थी/आवेदक को कोई रूचि भी नहीं है, इसलिए उपरोक्त समस्त दस्तावेज एवं लिखित बहस के आधार पर यदि माननीय लोकपाल महोदय वर्तमान प्रकरण

का निराकरण करना चाहे तो इस संबंध में अपीलार्थी/आवेदक को कोई आपत्ति ना होकर उसकी पूर्ण सहमति है।''

उभयपक्षों के उक्त कथनों के आधार पर सुनवाई समाप्त कर प्रकरण को आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

08. प्रकरण की विवेचना में फोरम से प्राप्त आवेदक की मूल शिकायत संबधी प्रकरण क्र. बी.टी–12/2019 की मूल नस्ती का अवलोकन किया गया। इससे ज्ञात होता है कि आवेदक ने फोरम के समक्ष प्रस्तुत अपनी मूल शिकायत को ही अपील बनाते हुए लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत की है और इसमें कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। फोरम ने आवेदक की मूल शिकायत पर उभयपक्षों की सुनवाई कर किए गए कथनों/तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण की स्थापित विधि और लागू नियमों के अन्तर्गत विस्तृत विवेचना कर आवेदन की सभी आपत्तियों का निराकरण करते हुए आदेश दिनांक 09.12.2019 पारित किया है। चूंकि आवेदक की ओर से अपील में और न सुनवाईयों में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है अतः प्रस्तुत अपील में विवेचना का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं पाया जाता है और अपील में कोई मेरिट नहीं है। अतः आवेदक की अपील खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

09. आवेदक की अपील अस्वीकार की जाती है और फोरम का आदेश दिनांक 09.12.2019 यथावत् रखे जाने का निर्णय पारित किया जाता है। इसके साथ ही प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है।

10. उभयपक्ष आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ अलग से सूचित हों और आदेश की एक प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापिस हो।

विद्युत लोकपाल